लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **तारा चन्द मीणा,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/39/2021 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 26.03.2021
G.C.M.S. NO. :- 2021/142

श्री प्रहलाद राय पिता गणेश लाल सोनी निवासी 1/30 गांधीनगर, रामकुई के पास, चित्तौड़गढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

दिनांक 20.04.2021

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 16.02.2021 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 39/2021/(20.04)/295 दिनांक 30.03.2021 से लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 20.04.2021 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 20.04.2021 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्रांक/भूमि/2021/581 दिनांक 16.04.2021 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2021.06.23 12:17:06 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़, राज.

प्रकरण संख्या 39/2021 (सू.अ.)
श्री प्रहलाद राय सोनी निवासी चित्तौड़गढ़ बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

1. अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 16.02.2021 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन की सूचना इस कार्यालय के पत्रांक/सू.अ.अधि./2021/378 दिनांक 12.03.2021 से दे दी गई है। अपीलार्थी द्वारा भी उक्त सूचना से संबंधित पत्र दिनांक 12.03.2021 की प्रति अपील अपील के साथ प्रस्तुत की है। उक्त संदर्भ में अपीलार्थी को दी गई सूचना का पत्र पुनः संलग्न है।
2. अपीलार्थी द्वारा दिनांक 23.03.2021 को दिए गए प्रत्युत्तर के बिन्दु संख्या 1 से 4 तक के संबंध में दिनांक 31.03.2021 को सूचित कर दिया गया है। अपीलार्थी को दी गई सूचना से संबंधित पत्र दिनांक 31.03.2021 की प्रति संलग्न है।
3. अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत चाही गई सूचना उपलब्ध करा दी गई है। अपीलार्थी अपने रूपान्तरण संबंधी प्रकरण में विकास कार्य पेटे बंधक रखे भूखण्ड का पट्टा विलेख प्राप्त करना चाहता है, जबकि अपीलार्थी ने इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सड़क निर्माण आदि कार्य नहीं किया है। प्रावधानों के तहत विकास कार्यपूर्ण होने पर ही बंधक भूखण्ड का पट्टा विलेख जारी किया जा सकता है। अतः अपील अस्वीकार फरमाई जावे।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/भूमि/2021/581 दिनांक 16.04.2021 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 16.02.2021 से चार बिन्दुओं पर सूचना चाही गई, जिसके संबंध में लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्रांक/सू.अ.अधि./2021/378 दिनांक 12.03.2021 से चारों बिन्दुओं का अपीलार्थी को बिन्दुवार जवाब देते हुए बिन्दु संख्या 1, 2 व 4 में वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने तथा बिन्दु संख्या 3 की सूचना का संबंध उनके कार्यालय से नहीं होने से अपीलार्थी को अवगत कराया गया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2021.06.23 12:17:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 39/2021 (सू.अ.)
श्री प्रहलाद राय सोनी निवासी चित्तौड़गढ़ बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

उसके पश्चात् अपीलार्थी द्वारा पुनः दिनांक 23.03.2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्रांक/सू.अ.अधि./2021/511 दिनांक 31.03.2021 से अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 23.03.2021 के चारों बिन्दुओं का बिन्दुवार जवाब अपीलार्थी को प्रस्तुत किया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत कोई भी सूचना चाहने हेतु आवेदक को वांछित सूचना का पूर्ण एवं स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी को वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं कराया है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नहीं है। अतः अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने तथा अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने के पश्चात् नियमानुसार अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

(तारा चन्द मीणा)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र./सरिश्ता/प्र.सं./39/2021(सू.अ.)/375 दिनांकः– 20/04/2021

प्रतिलिपिः–

1. लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़
2. श्री प्रहलाद राय पिता गणेश लाल सोनी निवासी 1/30 गांधीनगर, रामकुई के पास, चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2021.06.23 12:17:06 IST
Reason: SelfAttested